कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों किया ?

जल जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जल आपूर्ति योजनाओं का ध्यान गांवों (आबादी) के भीतर सामान्य क्षेत्रों या समूहों को पानी प्रदान करने से हटकर जीवन को आसान बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण घर (परिवार) को सीधे पानी की आपूर्ति करने पर केंद्रित हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं एवं कार्यक्रमों की श्रृंखला में, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में महत्वपूर्ण योजना के तौर पर, जल जीवन मिशन की घोषणा गई, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। जल जीवन मिशन प्रारम्भ किये जाने के समय, राज्य में 3.20 लाख (छह प्रतिशत) ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन था। मार्च 2024 तक, राज्य ने 1.48 लाख निजी कनेक्शन सहित 38.97 लाख (78 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रतिवेदित की थी, जिसमें ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय करके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रगति के मामले में राज्य 23वें स्थान पर था।

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक योजना एवं संस्थागत तंत्र उपलब्ध थे, वित्तीय संसाधनों का उपयोग मितव्ययी एवं दक्ष तरीके से किया गया था, योजना का कार्यान्वयन प्रभावी एवं दक्ष था, तथा योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था।

हमने क्या पाया ?

हमने पाया कि राज्य में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम कार्य योजना से जिला कार्य योजना तथा राज्य कार्य योजना तक जलापूर्ति योजनाओं के लिए बॉटम-अप योजना प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी एवं जिला कार्य योजना संबंधित ग्राम कार्य योजना बनाये बिना तैयार की गई थी। ग्राम कार्य योजनाओं की तैयारी के दौरान कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों द्वारा योजना स्तर पर ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भागीदारी की अपेक्षित सहायता सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को ग्राम कार्य योजनाओं की तैयारी के बाद लगाया गया था। राज्य स्तर पर कोई जल सुरक्षा योजना नहीं थी, अतः मिशन अवधि के दौरान स्रोत स्थिरता एवं अनुरक्षण के लिए दीर्घकालिक रणनीति एवं निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2025 तक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 50 लाख घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 40.10 लाख घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए गए थे। स्थापित 40.10 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से, 13.31 लाख (33 प्रतिशत) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जनवरी 2025 तक सूखे स्रोत, अपूर्ण ओवरहेड टैंक, बिजली कनेक्शन की कमी, सौर पंप की स्थापना नहीं होने आदि के कारण अकार्यशील थे।

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी 19,656 गांवों को मार्च 2024 तक 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया जाना था। 'हर घर जल' के रूप में 19,656 गांवों के 100 प्रतिशत प्रमाणन के लक्ष्य की तुलना में, छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 तक केवल 716 गांवों (3.64 प्रतिशत) को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था। अधूरे कार्य/योजनाओं के बावजूद 'हर घर जल' के रूप में गांवों के प्रमाणन के मामले भी पाये गये।

मार्च 2024 तक, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों एवं 146 जनपदों में से किसी ने भी सभी घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने में 100 प्रतिशत परिपूर्णता हासिल नहीं की है। 18 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 76 से 98 प्रतिशत के बीच रहा, जिसमें धमतरी जिला 98 प्रतिशत एवं बलौदाबाजार जिला 76 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। इसके अतिरिक्त, शेष 15 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 56 से 74 प्रतिशत के बीच रहा।

छत्तीसगढ़ में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कुल 29,153 एकल ग्राम योजनाओं एवं 70 बहु ग्राम योजनाओं में से मार्च 2024 तक केवल 172 एकल ग्राम योजनाएं पूरी की गई थीं, जिनमें से 32 योजनाएं समुदाय/ग्राम पंचायत को सौंप दी गई थीं।

बहु ग्राम योजना की शुरुआत में विलंब के कारण सतही जल स्रोतों के माध्यम से 9.85 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को आच्छादित करने का उद्देश्य बाधित हुआ, क्योंकि मार्च 2025 तक कोई भी बहु ग्राम योजना पूरी नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा में योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां भी पाई गईं, जैसे परियोजना की लागत को स्वीकृत लागत के भीतर रखने के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्सेस जैसे अनिवार्य घटकों को समाप्त करने, तथा स्रोत में जल की कम उपलब्धता के कारण मांग के सापेक्ष स्रोत से जल का अपर्याप्त आबंटन, जिससे बहु ग्राम योजनाओं के अंतर्गत निगरानी दक्षता एवं घरों में पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए जल स्रोत की स्थिरता से समझौता हुआ।

सौर फोटो वोल्टेइक (सौर) आधारित जल योजनाएं, स्थापित सौर प्रणाली की क्षमता से अधिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के ओवरलोडिंग के कारण 28,984 घरों के लिए पेयजल हेतु निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर को पूरा करने में विफल रहीं।

प्रथम दो वर्षों में मिशन की धीमी प्रगति के कारण, राज्य मिशन केंद्रांश (₹ 3,285.38 करोड़) एवं राज्यांश (₹ 3,194.66 करोड़) कुल ₹ 6,480.04 करोड़ की धनराशि नहीं जुटा सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वार्षिक योजना तैयार नहीं होने के कारण, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण गतिविधियों के अभिसरण की योजना नहीं बनाई जा सकी। निधियों के अभिसरण हेतु, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य निधि अर्थात महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद स्थानीय विकास निधि, जिला खनिज निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि एकीकृत कर वित्तीय योजना तैयार करनी थी परंतु नमूना जांच किये गये जिलों में ऐसी कोई वित्तीय योजना नहीं बनायी गई थी। मिशन अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए सामुदायिक अंशदान के रूप में ₹ 2,220.18 करोड़ एवं 15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदान ₹ 1,358 करोड़ नहीं जुटा सका। जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी पर व्यय (₹ 40.88 करोड़) दो प्रतिशत की प्रावधानित राशि (₹ 199.79 करोड़) से कम था।

जल जीवन मिशन अवधि के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण कमी थी। राज्य की 75 प्रयोगशालाओं में से केवल चार प्रयोगशालाएं (यथा राज्य स्तरीय प्रयोगशाला रायपुर, जिला प्रयोगशालाएं-राजनंदगांव, कबीरधाम एवं दुर्ग) ही जल परीक्षण के लिए निर्धारित सभी 13 मापदंडों के परीक्षण के लिए सुसज्जित थे। मौजूद जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 37 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता का अभाव था। स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार जल

परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में अपर्याप्त योजना, सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों की खराब रूप-रेखा, सतत जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजनाओं का क्रियान्वयन, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं का कमी, अपर्याप्त परीक्षण, वित्तीय संसाधनों एवं सामुदायिक सहभागिता में कमी, तथा कमजोर संस्थागत निगरानी के कारण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योजना को पूरा किये बिना एवं उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित किये बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को अधिक प्रतिवेदित करने तथा गलत 'हर घर जल' प्रमाणीकरण ने योजना को अधिक नुकसान पहुंचाया। अतः ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में विफलता का जोखिम अभी भी उच्च बना हुआ है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- ***निधियों की वास्तविक स्थिति एवं अपूर्ण कार्यों का आकलन करना एवं जलापूर्ति योजनाओं को यथासमय पूर्ण किया जाए विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।***
- ***शीर्ष स्तर पर निधियों के अभिसरण के लिए अंतर-विभागीय समन्वय हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाई जाए।***
- ***लेखापरीक्षा द्वारा इंगित गलत प्रमाणीकरण के मुद्दों को सुलझाने हेतु 'हर घर जल' को प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा कराई जाए।***
- ***पर्याप्त जनशक्ति एवं उपकरणों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्रियाशील जल परीक्षण प्रयोगशालाएं सुनिश्चित किया जाए।***
- ***योजनाओं की स्थिरता हेतु समीक्षा की जाए जिसमें सामुदायिक स्वामित्व, जल स्रोत पहचान पर विशेष ध्यान दिया जावे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।***